मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2006

क्रमांक. 2942 –म.प्र.विनिआ – 2006 – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 (जी) सहपठित धारा 32 (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 1192/मप्रविनिआ/2006 दिनांक 5 मई, 2006 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–16, वर्ष 2006) में निम्नानुसार संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–16, वर्ष 2006) में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(i) ये विनियम ''**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006) (ए [आरजी –16] (i) वर्ष 2006)**'' कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. खण्ड 2.4 में परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006), जिसे इसके आगे प्रधान विनियम कहा जावेगा, में **खण्ड 2.4** के उपरांत **खण्ड 2.4 (ए)** अर्न्तस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''2.4. (ए) ''अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों'' से अभिप्रेत है सूर्य (ताप तथा फोटो–वोल्टाइक), जैविक पदार्थ, अर्थात् बायोमास (प्रत्यक्ष ज्वलन, गैसीकरण (गैसीफिकेशन) अथवा मिथेन–करण (मिथेनेशन) मय नगरपालिका ठोस अवशिष्ट को सम्मिलित कर), पवन, लघु जल–विद्युत संयंत्र जिसकी स्टेशन क्षमता 25 मेगावाट तक हो तथा सह–उत्पादन आदि से प्राप्त की गई ऊर्जा ।''

3. खण्ड 8.6 के उपरांत परिवर्धन

प्रधान विनियम में **खण्ड 8.6** के उपरांत निम्न **खण्ड 8.7** जोड़ा जावे, अर्थात्,:

''8.7 समस्त अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादकों को एक ही समय में संयोजन शुल्क राशि रू. 5000.00 का भुगतान करना होगा, भले ही अनुबंध का प्रकार दीर्घ–अवधि अथवा लघु–अवधि का हो ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव